न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— पीयुष समारिया
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 68/2021

बैक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स विष्णु ट्रेडिंग कंपनी, प्रोपराईटर श्री विष्णु कुमार खण्डेलवाल,पता— खसरा नंबर 1458, वार्ड नंबर 05, रेल्वे स्टेशनरोड, मानगंज के पास, दौसा जिला दौसा राजस्थान (ऋणी)
2. श्री भरत खण्डेलवाल पुत्र श्री बंशीधर रावत निवासी—प्लॉट नंबर 13/36, चेतना पथ, साईं बाबा मंदिर के पास, मानसरोवर, जयपुर राजस्थान (जमानती)
3. श्री श्याम सुंदर खण्डेलवाल पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता, वार्ड नं0 5,नाटानी मार्केट, दौसा राजस्थान (जमानती)
4. श्री सुनील कुमार बढेरा पुत्र श्री गोवर्धनलाल बढेरा,बढेरा भवन, लालसोट रोड, दौसा राजस्थान (जमानती)

...अप्रार्थी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत बंधक संपत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित: श्री जगत सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा की ओर से

आदेश

दिनांक: 28.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को 24,00,000/—(रूपये चौबीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्री श्याम सुंदर खंडेलवाल पुत्र श्री बाबू लाल गुप्ता की आवासीय संपत्ति खसरा नंबर 1458, वार्ड नं0 5 रेल्वे स्टेशन रोड, मानगंज के पास, दौसा जिला दौसा पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 55.55 वर्गगज है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, जो कि थाना कोतवाली के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा शाखा जयपुर रोड दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28दिसंबर 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा